कार्यालय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

प्रकरण कमांक /निगरानी / 2016 नि.ग.-3178-I-16

जे.बी.कंस्ट्रेक्शन पी.सी.नं. AACFJ

6213QA-46 कृषि विहार

कॉलोनी इन्दोर (मध्य प्रदेश)

द्वारा

1— राजेश खण्डेलवाल

2— आनन्द खण्डेलवाल

3— संजय खण्डेलवाल पुत्रगण स्व. रामनारायण खण्डेलवाल निवासीगण श्योपुर म.प्र.

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय श्योपुर म.प्र.

निगरानी विरूद्व ओदश दिनांक 14.09.2016 बइजलास श्री वीरेन्द्र सिंह अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण कमांक 36/15–16/ अपील जे.बी. कंस्ट्रक्शन बनाम शासन में पारित ओदश अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

यह प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा श्योपुर में भूमि सर्वे कमांक 471/2 रकवा 1.045 हे. को निगरानी कर्तागण ने

क्रमशः–2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3178/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-9-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 36/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि कब्जा श्योपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 471/2 क्षेत्रफल 1.045 हैक्टेयर का पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 13.10.2016 के आधार पर क्रय कर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/2015–16 में आदेश दिनांक 02.05.2016 को स्थगन होने के कारण नामान्तरण किया जाना संभव नहीं होने का आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 36/2015–16 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.09.2016 पारित किया जाकर आदेशित किया कि प्रकरण में रोक आदेश के बावजूद विवादित श्रेणी के मामले को अविवादित नामांतरण का मामला बनाकर लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय भूमि को हड़पने के प्रयास किये गये, अतः	

आवेदकगण के विरूद्ध पृथक से आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु प्रकरण क्रमांक 33/2015–16/बी–121 में जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 10.08.2016 से विचाराधीन है। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष दायर हो सकती है, इसलिए अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से अपील एतद द्वारा निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील को मात्र इस आधार पर प्रचलन योग्य नहीं माना है कि लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत केवल अविवादित श्रेणी में नामांतरण को ही अधिसूचित जाता है। यह प्रकरण विवादित नामांतरण की श्रेणी में आता है। जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से भूमि क्रय की गयी है। ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। इस तथ्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, अतः आदेश अपास्त कर नामांतरण किये जाने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा

अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया है, जो अपने स्थान पर विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर का आदेश स्थिर रखते हुए वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा अभिलेख का विधिवत अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है। क्योंकि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 13.10.2015 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि आवेदकगण सद्भाविक क्रेता है और उसके द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र निरस्त किये जाने से पूर्व नामांतरण किये जाने का विधिक प्रावधान संहिता में है, ऐसी स्थिति में विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण से इंकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2016 त्रुटिपूर्ण

होने से निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार श्योपुर को निदेर्शित किया जाता है कि वह पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 13.10.2015 के आधार पर आवेदकगण का विधिवत नामांतरण राजस्व अभिलेखों में करें।

सदस्य